

(P)

1/9/6

Di/PT

10/6

Govt. (C. & T.)

16.6.15
TO, NIC

दवा की दुकान पर नहीं मिलेगा शिशु आहार

नई दिल्ली, (भाषा) : मैगी विवाद के मद्देनजर औषध विभाग फार्मैसियों (दवाओं की दुकान) पर शिशु आहार और पूरक आहार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने का विचार कर रहा है। विभाग का कहना है कि इन दुकानों पर सिर्फ दवा और सीरप की बिक्री की ही अनुमति होनी चाहिए। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा "लोग केमिस्ट की दुकान से शिशु आहार उत्पाद और पूरक आहार (फूड सप्लीमेंट) यह सोचकर लेते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।

Govt.

2